

# मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पर्यावरण परिसर,ई-5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल

कमांक 6/8 स्था-32/ईएमपी- 1557/प्रनिबो/2018


भोपाल, दिनांक 09/5/18

## -: कार्यालय आदेश :-

श्री अरविंद कुमार तिवारी, सहायक यंत्री, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिन्दवाड़ा के विरुद्ध बोर्ड के आदेश क्रमांक 3115 दिनांक 29.10.2011 द्वारा संस्थापित विभागीय जांच में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर बोर्ड के आदेश दिनांक 31/1/2017 द्वारा लघु शास्ति अन्तर्गत परिनिंदा से दण्डित किया गया है ।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-6/1/2005/एक/3 दिनांक 13/1/2005 के बिन्दु 2 अनुसार जिस प्रकरण में लघुशास्ति आरोपित होने की संभावना हो, ऐसे अपराध में कर्मचारी को अनावश्यक निलंबित न किया जाये तथा निलंबन उपरांत दण्ड में लघुशास्ति आरोपित हो तो निलंबन काल को कर्तव्य पर माना जाये ।

तदनुसार श्री तिवारी को निलंबन अवधि के शेष वेतन भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है, साथ ही श्री तिवारी को प्रथम नियुक्ति पद उपयंत्री के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सहायक यंत्री के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर दिनांक 11.09.2006 से प्रथम समयमान वेतनमान रुपये 9300-34800+4200 ग्रेड-पे का लाभ स्वीकृत किया जाता है ।

  
(सुधीर श्रीवास्तव)

प्रशासकीय अधिकारी

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
भोपाल

कमांक 6/9 स्था-32/ईएमपी- 1557/प्रनिबो/2018

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि:-

09/5/18

1. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ ।
2. वित्त अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. श्री अरविंद कुमार तिवारी, सहायक यंत्री, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ ।
4. व्यक्तिगत नस्ति/गार्ड फाईल/आईटी शाखा